

**न्यायालय: न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)**  
**(समक्ष: डी.एस.मण्डलोई)**

आप.प्रकरण क्र. 576 / 07

संस्थित दि.: 28 / 09 / 07

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड,  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... अभियोगी

**विरुद्ध**

1. अन्तोष पिता रामसपी, उम्र 26 साल, जाति केबट,  
निवासी सरईटोला रहेंगी थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट (म.प्र.)
2. इतवारी पिता केशरसिंग, उम्र 25 साल, जाति गोंड,  
निवासी पाण्डयाटोला रहेंगी थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... आरोपीगण

— :: **निर्णय** :: —

**(आज दिनांक 18 / 10 / 2014 को घोषित किया गया)**

(01) आरोपीगण पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 403 का आरोप है कि आरोपीगण ने दिनांक 03 / 10 / 2006 को समय 10:25 बजे ग्राम रहेंगी थाना मलाजखण्ड में जंगम सम्पत्ति 5 सायकिल कीमत 5000 / — रुपये को दुर्विनियोग कर अपने उपयोग में लिये सम्परिवर्तित किया।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रधान आरक्षक सुरेश विजयवार आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड को दिनांक 30.10.2006 को मुखबिर की सूचना मिली की आरोपीगण चोरी की सायकिल बेचने के लिये घुम रहे हैं। सूचना पर विश्वास कर मौके पर जाकर आरोपीगण से गवाहों के समक्ष चोरी की पांच सायकिल बेचने के सन्देह में पकड़ा और सायकिल जप्त कर इस्त कमांक 2 / 06 धारा 41 (1-4) दं.प्र.सं. एवं 379 भा.दं.वि. कायम कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर

यह अभियोग पत्र इस न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-41(1-4) एवं भारतीय दंड संहिता की धारा-379 का अभियोगपत्र प्रस्तुत किया।

(03) आरोपीगण को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 403 का अपराध विवरण विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपीगण का बचाव है कि वह निर्दोष है पुलिस ने झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कर उन्हें झूठा फसाया है।

(05) आरोपीगण के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

(अ) क्या आरोपीगण ने दिनांक 03/10/2006 को समय 10:25 बजे ग्राम रहेंगी थाना मलाजखण्ड में जंगम सम्पत्ति 5 सायकिल कीमत 5000/- रुपये को दुर्विनियोग कर अपने उपयोग में लिये सम्परिवर्तित किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

(06) अभियोजन साक्षी/कायमीकर्ता/विवेचनाकर्ता प्रधान आरक्षक सुरेश विजयवार (अ.सा.03) का कहना है कि दिनांक 30.10.2006 को वह स्टाफ के साथ गस्ती पर था। मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी इतवारी और अंतोष चोरी की सायकिल बेचने के लिये घूम रहे हैं। हमराह स्टाफ एवं राहगीर गवाह मोहनलाल एवं प्रेमलाल के समक्ष आरोपीगण को पकड़ कर पूछताछ की तो आरोपीगण के पास पांच सायकिलों के कोई दस्तावेज नहीं थे। जिसका पंचनामा प्रदर्श पी-06 व 07 बनाया और आरोपीगण के हस्ताक्षर लिये। आरोपी इतवारी से दो सायकिल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-01 बनाया था और आरोपी अंतोष से तीन सायकिल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-02 बनाया था। सायकिल जप्त की कार्यवाही 41 (1-4) दं.प्र.सं. एवं भा.दं.वि. की धारा 379 के तहत आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा

प्रदर्श पी-03 व 04 बनाया था। गवाह मोहनलाल और प्रेमलाल के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे।

(07) किन्तु अभियोजन साक्षी प्रेमलाल (अ.सा.02) का कहना है कि वह आरोपी अंतोष एवं ईतवारी को नहीं जानता है। आरोपीगण को पुलिस ने उसके सामने गिरफ्तार नहीं किया था और न ही आरोपीगण से उसके सामने कोई सामान जप्त किया था किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-01 एवं प्रदर्श पी-02 तथा गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-03 एवं प्रदर्श पी-04 पर उसके हस्ताक्षर है।

(08) इसी प्रकार अभियोजन साक्षी मोहनसिंह (अ.सा.01) का भी कहना है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है। उसके सामने आरोपी अंतोष एवं ईतवारी से कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी और न ही पुलिस ने उसके सामने आरोपीगण को गिरफ्तार नहीं किया था किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-01 एवं 2 तथा गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-03 एवं 04 पर पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके बयान नहीं लिये थे।

(09) आरोपीगण एवं आरोपीगण के अधिवक्ता का बचाव है कि पुलिस ने आरोपीगण के विरुद्ध झूठा प्रकरण पंजीबद्ध किया है। जिसका अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षी प्रेमलाल और मोहनलाल आंशिक मात्र भी समर्थन नहीं किया है। मात्र विवेचनाकर्ता ने कथन किए है, जिसका खण्डन विवेचनाकर्ता के प्रतिपरीक्षण के पैरा-5 में हो जाने से भी अभियोजन का प्रकरण संदेहास्पद है। अतः संदेह का लाभ आरोपीगण को दिया जावे।

(10) आरोपीगण एवं आरोपीगण के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(11) अभियोजन साक्षी/कायमीकर्ता/विवेचनाकर्ता प्रधान आरक्षक सुरेश विजयवार (अ.सा.03) का कहना है कि दिनांक 30.10.2006 को वह स्टाफ के साथ गस्ती पर था। मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी इतवारी और अंतोष चोरी की सायकिल बेचने के लिये घूम रहे है। हमराह स्टाप एवं राहगीर गवाह मोहनलाल एवं प्रेमलाल के समक्ष आरोपीगण को पकड़ कर पूछताछ की तो आरोपीगण के पास पांच सायकिलों के कोई दस्तावेज नहीं थे। जिसका पंचनामा प्रदर्श पी-06 व 07 बनाया

और आरोपीगण के हस्ताक्षर लिये। आरोपी इतवारी से दो सायकिल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-01 बनाया था और आरोपी अंतोष से तीन सायकिल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-02 बनाया था। सायकिल जप्त की कार्यवाही 41 (1-4) दं.प्र.सं. एवं भा.दं.वि. की धारा 379 के तहत आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-03 व 04 बनाया था। गवाह मोहनलाल और प्रेमलाल के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे, किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा-5 में यह बताया है कि आरोपीगण को रेहंगी चौराहे पर जब पकड़ा था उस समय माल मशरूका आरोपीगण के पास नहीं मिला था, और ना ही आरोपीगण का मेमोरेण्डम उसके द्वारा तैयार किया गया था।

(12) अभियोजन साक्षी प्रेमलाल (अ.सा.02) का कहना है कि वह आरोपी अंतोष एवं इतवारी को नहीं जानता है। आरोपीगण को पुलिस ने उसके सामने गिरफ्तार नहीं किया था और न ही आरोपीगण से उसके सामने कोई सामान जप्त किया था किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-01 एवं प्रदर्श पी-02 तथा गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-03 एवं प्रदर्श पी-04 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का आंशिक मात्र भी समर्थन नहीं किया है।

(13) इसी प्रकार अभियोजन साक्षी मोहनसिंह (अ.सा.01) का भी कहना है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है। उसके सामने आरोपी अंतोष एवं इतवारी से कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी और न ही पुलिस ने उसके सामने आरोपीगण को गिरफ्तार नहीं किया था किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-01 एवं 2 तथा गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-03 एवं 04 पर पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके बयान नहीं लिये थे। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का आंशिक मात्र भी समर्थन नहीं किया है।

(14) अभियोजन साक्षी/कायमीकर्ता/विवेचनाकर्ता प्रधान आरक्षक सुरेश विजयवार (अ.सा.03) के कथन एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत

जप्ती, गिरफ्तारी के साक्षी के कथनों में गंभीर विरोधाभास है। आरोपीगण ने दिनांक 03/10/2006 को समय 10:25 बजे ग्राम रहेंगी थाना मलाजखण्ड में जंगम सम्पत्ति 5 सायकिल कीमत 5000/— रुपये को दुर्विनियोग कर अपने उपयोग में लिये सम्परिवर्तित किया, यह अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों से परिलक्षित नहीं होता है।

(15) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 03/10/2006 को समय 10:25 बजे ग्राम रहेंगी थाना मलाजखण्ड में जंगम सम्पत्ति 5 सायकिल कीमत 5000/— रुपये को दुर्विनियोग कर अपने उपयोग में लिये सम्परिवर्तित किया। अभियोजन का प्रकरण संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः संदेह का लाभ आरोपीगण को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

(16) परिणाम स्वरूप आरोपी-अंतोष एवं इतवारी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-403 के आरोप में दोषसिद्ध न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

(17) प्रकरण में आरोपी अंतोष एवं इतवारी पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

(18) प्रकरण में जप्तशुदा पांच नग सायकिल जंगम सम्पत्ति होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् राजसात की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित  
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)